

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र07-वि0बैठक0अनु0-01/14- 959 - खाद्य, पटना/दिनांक-22-02-18
प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।


प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 9958 दिनांक 31.12.2014 एवं 4443 दिनांक-01.09.2017

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का मापदंड निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत आठ माह के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन में यह पाया गया है कि कई जिलों में एक भी निरीक्षण प्रतिवेदन POIMS पर Upload नहीं किया गया है। उक्त के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानों के कार्यकलापों पर प्रभावी निगरानी में कमी के कारण लाभुकों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः उक्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक 9958 दिनांक 31.12.2014 एवं 4443 दिनांक 01.09.2017 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्यों के दुकानों का निरीक्षण तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन POIMS पर Upload कराना सुनिश्चित किया जाय।

विगत दिनों अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के सम्बन्ध में उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन में भी इसे समाहित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी Online Monitoring की भी व्यवस्था की गयी है। अनुरोध है कि जिला टास्क फोर्स की मासिक बैठक में इसकी समीक्षा की जाय एवं अप्रैल, 2018 तक सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय एवं समय-समय पर साप्ताहिक अभियान चलाकर उक्त कार्य को कराया जाय ताकि जन वितरण प्रणाली के शिकायतों में कमी आ सके।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र07-वि0बैठक0अनु0-01/14- 959 - खाद्य, पटना/दिनांक-22-02-18
प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।